बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

दिनांक -:-**21/12/2021**

प्रेषक,

सी०पी०खंडूजा,
आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषयः- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास निर्माण में महात्मा गाँधी नरेगा के अभिसरण से अकुशल मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में।**
प्रसंगः- **1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक M-13011/01/2016-RH-Part(3), दिनांक 16.09.2021**
2. बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी का पत्रांक 771 दिनांक, 25.04.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग के सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को आवास निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से 90/95 मानव दिवस (IAP जिलों को 95 मानव दिवस) की मजदूरी का भुगतान किया जाना है। उक्त मानव दिवस के ससमय भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु बी०आर०डी०एस० के पत्रांक 771, दिनांक 25.04.2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निदेश निर्गत किये गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है, तदनुसार ही महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मस्टर रोल निर्गत करने के निदेश दिए गए थे ।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नरेगा सॉफ्ट पर भी मस्टर रोल निर्गत करने के की प्रक्रिया को आवास सॉफ्ट की किस्तों की संख्या से जोड़ दिया गया था, जिसके कारण जिलो को आवास लाभार्थियों को 90/95 मानव दिवस का भुगतान करने मे कठिनाई हो रही थी । ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र द्वारा मस्टर रोल निर्गत करने की प्रक्रिया को आवास सॉफ्ट पर लाभुक को दिए गए किस्तों की संख्या से विमुक्त (Delink) कर दिया गया है और व्यवस्था की गयी है कि आवास सॉफ्ट पर आवास पूर्ण किये जाने के पश्चात मस्टर रोल निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवास लाभुकों को महात्मा गाँधी नरेगा से दिए जाने वाले 90/95 (IAP जिलों को 95 मानव दिवस) मानव दिवस को दो चरणों में दिए जाने का निदेश दिया गया हैं ।

3. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवास निर्माण हेतु महात्मा गाँधी नरेगा से दिए जाने वाले 90/95 मानव दिवस (IAP जिलों के लिए 95 तथा Non IAP जिलों के लिए 90 मानव दिवस) को दो चरणों में निम्न प्रकार से दिए जाने का निर्णय लिया गया है :-

प्रथम चरण :-

आवास सॉफ्ट पर लाभुक के आवास की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरांत कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा आवास का निर्माणलिंटल लेवल तक होने के पूर्व नरेगा सॉफ्ट पर 70 दिनों (IAP जिलों तथा Non IAP जिलों दोनों के लिए) के लिए निम्न प्रकार मस्टर रोल निर्गत किये जायेंगे:-

- **कार्यक्रम पदाधिकारी इसके लिए 14-14 दिनों के दो मस्टर चक्र के लिए एक साथ eMR निर्गत करेंगे ।**
- **दो चरणों के मस्टर चक्र की समाप्ति के अधिकतम 7 दिनों के अन्दर अगले 14-14 दिनों के दो मस्टर चक्र के लिए एक साथ eMR निर्गत किये जायेंगे तथा चौथे मस्टर चक्र की समाप्ति के अधिकतम 7 दिनों के अन्दर प्रथम चरण के अन्तिम मस्टर चक्र, जो 14 दिनों के लिए होगा , के लिए eMR निर्गत किया जाएगा ।**
- **इस प्रकार प्रथम चरण में देय 70 मानव दिवस के लिए 14-14 दिनों के 5 मस्टर चक्र के लिए eMR निर्गत किये जायेंगे तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवास निर्माण लिंटल लेवल तक किये जाने के पूर्व 70 मानव दिवस का मजदूरी भुगतान लाभुक को कर दिया जाय ।**

द्वितीय चरण :-

आवास के लिंटल लेवल तक पूर्ण होने के पश्चात Non IAP जिलों के लिए अवशेष 20 दिन तथा IAP जिलों के लिए अवशेष 25 दिनों के लिए निम्न प्रकार मस्टर रोल निर्गत किये जायेंगे :-

- **कार्यक्रम पदाधिकारी एक साथ दो मस्टर चक्र के लिए – प्रथम मस्टर चक्र 14 दिनों के लिये तथा दूसरा मस्टर चक्र Non IAP जिलों के लिए 6 दिन तथा IAP जिलों के लिए 11 दिन के लिए होगा – eMR एक साथ निर्गत करेंगे ।**
- **कार्यक्रम पदाधिकारी आवास सॉफ्ट पर आवास की पूर्णता के पूर्व लाभुक को महात्मा गाँधी नरेगा से दिए जाने वाले 90/95 मानव दिवस (IAP जिलों तथा Non IAP जिलों) के लिए eMR निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे ।**

4. ज्ञातव्य है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा संसूचित किया गया हैं कि आवास सॉफ्ट पर लाभुक के आवास की पूर्णता के पश्चात महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत नरेगा सॉफ्ट पर eMR जारी नहीं किया जा सकेगा। अतः आवास योजना के लाभुकों को महात्मा गाँधी नरेगा से देय मानव दिवस के लिये eMR आवास सॉफ्ट पर आवास की स्वीकृति के साथ ही बिना विलंब के निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा । साथ ही यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य हैं कि आवास सॉफ्ट पर आवास पूर्ण करने के पूर्व ही अनुमान्य 90/95 दिवस का मस्टर रोल निर्गत कर लिया जाय ।
5. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि आवास योजना अंतर्गत निर्गत eMR को zero attendance muster roll के रूप में mark नहीं किया जाय ताकि लाभुकों को 90/95 मानव दिवस का भुगतान ससमय किया जा सके। आवास सॉफ्ट पर आवास की स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मानव दिवस दिए जाने हेतु eMR निर्गत किये जाने में विलम्ब किये जाने से लाभुक को देय मानव दिवस नहीं दिए जाने की स्थिति में सम्बंधित कर्मी/पदाधिकारी इसके लिए जबाबदेह होंगे तथा इसके लिए उनपर नियमानूकुल कार्रवाई की जायेगी ।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों को महात्मा गाँधी नरेगा के अभिसरण से देय 90/95 मानव दिवस को ससमय उपलब्ध करने के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा कार्यक्रम पदाधिकारी के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है । इसलिये प्रखंड विकास पदाधिकारी आवास सॉफ्ट पर लाभुकों के आवास की स्वीकृति आदेश (sanction order) की प्रति के साथ ही लाभुक के बैंक खाता सम्बन्धी आवश्यक सूचनायें कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि कार्यक्रम पदाधिकारी सम्बंधित योजनाओं को नरेगा सॉफ्ट पर प्रारंभ कर अकुशल मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कर सके ।
7. उप विकास आयुक्त प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा कार्यक्रम पदाधिकारी के बीच सूचनाओं की उपलब्धता तथा समन्वय का सतत अनुश्रवण करेंगे ताकि आवास योजना के लाभुकों को महात्मा गाँधी नरेगा के अभिसरण से देय 90/95 मानव दिवस की मजदूरी लाभुकों को ससमय उपलब्ध कराया जा सके ।
8. प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त sanction order की प्रति में अंकित लाभुक के जॉब कार्ड

संख्या का मिलान कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा नरेगा सॉफ्ट से कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभुक के सही जॉब कार्ड की प्रविष्टि की गयी हैं अथवा नहीं । लाभुक के जॉब कार्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर विभागीय पत्रांक 438514, दिनांक 28.08.2019 द्वारा निर्गत निदेशानुसार कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को सही सूचना देते हुए आवास सॉफ्ट पर जॉब कार्ड संख्या संशोधित करवाना सुनिश्चित करेंगे ।

9. कार्यक्रम पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि लाभुक के परिवार में लाभुक के अतिरिक्त 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सदस्यों की संख्या एक से अधिक है जो लाभुक के साथ गाँव में रहते हैं तो उन इच्छुक सदस्यों का नाम लाभुक के जॉब कार्ड में सदस्य के रूप में जोड़ते हुए उनका भी eMR निर्गत किया जाय जिससे प्रथम चरण में 5 से कम मस्टर चक्र में ही 70 मानव दिवस दिया जाना सुनिश्चित हो सके ।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है की इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत विभागीय आदेशो को इस हद तक संशोधित समझा जाय एवं संशोधित निदेशों के आलोक में उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन

Signed by C P Khanduja
Date: 21-12-2021 17:49:18
Reason: Approved

(सी०पी०खण्डूजा)
आयुक्त मनरेगा।

प्रतिलिपिः-

1.सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी BRDS को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. Director IT & e-Governance को सूचनार्थ व BRDS के वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

4. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

गया प्रसाद
Gaya Prasad

उप महानिदेशक
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
Dy. DIRECTOR GENERAL
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

सत्यमेव जयते

D.O. No. No. M-13011/01/2016-RH-Part(3) Dated: 16th September, 2021

Subject: Convergence with MGNREGA for extending benefit of the 90/95 persondays to the beneficiaries of the PMAY-G beneficiaries-reg.

Dear Sir/Madam,

As you are aware that the Ministry of Rural Development is implementing the Pradhan Mantri Awaas Yojana (PMAY-G) which aims at providing a pucca houses, with basic amenities, to all houseless households and those households living in kutcha and dilapidated houses. Further, as per the provisions contained in the Framework For Implementation (FFI) of the PMAY-G scheme, the beneficiaries of PMAY-G are also entitled to 90/95 person days of unskilled labour wages from MGNREGS for construction of their houses.

2. Based on the requests of various States/ UTs regarding the difficulties faced by them in providing the persondays to PMAY-G beneficiaries, the matter was examined in consultation with RE Division in this Ministry and following decisions have been taken:

i. Generation of master rolls under MGNREGA stands de-linked from the release of installments of funds under PMAY-G.
ii. Muster rolls shall not be generated for the houses which have already been completed under PMAY-G.
iii. Muster rolls for 90/95 persondays under MGNREGA for PMAY-G beneficiaries would be generated in two stages as per details given below:
   a. Demarcation of the 90/95 personadays between the first stage and the second one would be made by the State/UT as per specific conditions of the State/UT.
   b. First stage MR would be generated for any specified number of days between the date of sanction and Plinth/Windowsill/Lintel, as decided by the State/UT.
   c. Second stage MR would be generated for any specified number of days between the period of Plinth/windowsill/Lintel till the time of completion of houses.

3. It is to be noted that the respective State/UT has to generate muster rolls for specified number of days for beneficiaries of PMAY-G before reaching the first stage of Plinth/Windowsill/Lintel as decided by them. Further it has to be ensured by respective State/UT muster rolls are issued for specified number of days for second stage between the period of Plinth/windowsill/Lintel till the time of completion of houses.

4. I would, therefore, request to issue necessary directions to the officials concerned with the implementation of MGNREGA and PMAY-G to coordinate for proper demarcation of the persondays between the first stage and the second one as per specific conditions of the State/UT and to ensure that benefits of 90/95 persondays of unskilled wages are extended to the PMAY-G beneficiaries in time.

With warm regards,

Yours sincerely,

(Gaya Prasad)

The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary,
of All States/UTs dealing with PMAY-G

Copy to:

i. The Director/State Nodal Officers of the PMAY-G, Department of Rural Development of all States/UTs for information and necessary action
ii. PPS to JS(RE), Ministry of Rural Development, Krishi Bhawan, New Delhi.
iii. NIC, MoRD is requested to make necessary provisions in the NREGASoft, MIS of the MGNREGA and AwaasSoft, MIS of the PMAY-G Scheme.

Tel.: 011-23388431 E-mail: gaya.prasad@nic.in